यूनिवर्सिटी ऑफ नालन्दा विधेयक 2007

[बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित]

बिहार राज्य में यूनिवर्सिटी ऑफ नालन्दा स्थापित करने के लिए विधेयक ।

चूँकि, भारत के राष्ट्रपति जब बिहार विधान मंडल (2006) की संयुक्त सभा को सम्बोधित कर रहे थे, तब एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता पर जोर दिया था, जो ऐतिहासिक तथा आधुनिक विचारों के संदर्भ में दर्शन, ज्ञान, विज्ञान, तकनीकि, आर्थिक तथा आध्यात्मिकता पर प्रकाश डालने के साथ विविधता की एकता पर शोध करने हेतु , राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीय क्षेत्रों से बुद्धिमानों के लिए एक मिलन स्थल होगा;

और, चूँकि, राष्ट्रपति ने नालन्दा को 1500 वर्ष पूर्व के महान अध्ययन केन्द्र, विद्वता, दर्शन तथा उधोग के स्थल के रूप में याद भी किया, और एक नये विश्वविद्यालय की संभावना दिखाई, जो आपसी समझ और आध्यात्मिकता की ओर ले जाने वाले विभिन्न धर्मों के बीच मिलनसार संबंध पर आधारित तथा शिक्षा आधारित मूल्य एवं समानता के लिए आर्थिक विकास आधारित विकसित उज्ज्वल नागरिकता का उद्देश्य होगा;

चूँकि, बिहार राज्य में उत्कृष्ट एवं ख्यातिप्राप्त एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए जो उसके मानवता एवं सभ्यताओं के प्रति महान देन हो, प्राप्त करने के लिए आवश्यक विचार किया गया है;

चूँकि, अन्तर्राष्ट्रीय समझ और शान्ति को बढ़ाने के लिए शैक्षणिक उत्कर्ष और उच्च गुणवत्तापूर्ण शोध का पोषण करना वांछनीय है;

और चूँकि, एतद् पश्चात् विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय स्थापित करना समीचीन माना गया है ;

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हों :–

1. **संक्षिप्त नाम एवं आरंभ ।** – (1) यह अधिनियम यूनिवर्सिटी ऑफ नालन्दा अधिनियम, 2007 कहा जा सकेगा।

(2) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार नियत करें।

2. **परिभाषाएँ** । — (1) इस अधिनियम में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) ''महाविद्यालय'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा संधारित अथवा विशेषाधिकार मिला महाविद्यालय या कोई संस्था;

(ख) ''सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(ग) ''हॉल'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए इनके द्वारा उपबंधित, संधारित अथवा मान्यता प्राप्त आवास की कोई ईकाई चाहे उसका नाम जो भी हो;

(घ) ''सदस्य'' : इस अधिनियम के अधीन स्थापित कार्यपालिका परिषद् का कोई सदस्य और इसमें इसका अध्यक्ष भी शामिल है;

(ड.) ''विहित'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा विहित;

(च) ''प्राचार्य'' से अभिप्रेत है किसी महाविद्यालय का प्रधान (चाहे जिस नाम से वह जाना जाता हो) और इसमें जब प्राचार्य न हों तो प्राचार्य के रूप में कार्य करने हेतु तत्समय सम्यक रूप से नियुक्त कोई व्यक्ति और प्राचार्य या कार्यकारी प्राचार्य की अनुपस्थिति में उस रूप में सम्यक रूप से उप प्राचार्य इसमें शामिल हैं;

(छ) ''मान्यता प्राप्त संस्था'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की उपाधियाँ हेतु मान्यता प्राप्त अथवा सहबद्ध कोई संस्था;

(ज) ''विनियमावली'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के द्वारा बनाई गई विश्वविद्यालय की नियमावली;

(झ) " विद्यालय पीठ" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित विभिन्न अनुशासन विद्यालय;

(ञ) ''विश्वविद्यालय'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम द्वारा निगमित रूप में यूनिवर्सिटी ऑफ नालन्दा ।

3. **अधिकारिता** । — विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय सीमा जिसमें अपनी शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेगी वह सम्पूर्ण बिहार राज्य होगा। फिर भी विश्वविद्यालय संबंधित राज्य तथा देशों की विधियों के अनुसार विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के संबद्धन के लिए भारत में या उसके बाहर केन्द्र स्थापित करने के लिए समर्थ होगी।

4. **निगमन** । — (1) उस तिथि या तिथियों के प्रभाव से जिसे राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार नियत करें, विजिटर, कुलाधिपति, कुलपति, सभा के प्रथम सदस्य विश्वविद्यालय की

शासी निकाय तथा शैक्षणिक परिषद् को मिलाकर यूनिवर्सिटी ऑफ नालन्दा नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जायेगा और एतद ्पश्चात् ऐसे पद और ऐसे सदस्यों के रूप में तबतक के लिए नियुक्त किये जा सकेंगे जबतक वे ऐसे पद या ऐसी सदस्यता धारित करेंगी।

(2) विश्वविद्यालय शाश्वत उत्तराधिकार एवं शक्ति के साथ समान मुहर रखने वाला उक्त नाम के निगमित निकाय होगा और इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए किसी सम्पति को अर्जित करने, धारित करने अथवा उसका व्ययन करने तथा संविदा करने और उक्त नाम से उस पर वाद लाया जा सकेगा अन्यथा उसके द्वारा अन्य के विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा।

(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय, बिहार (भारत) के नालन्दा जिला में होगा।

5. **विश्वविद्यालय का उद्देश्य ।** — (1) विभिन्न सदियों पूर्व नालन्दा में यथा व्यवहृत आधुनिक सन्दर्भ में पवित्र ज्ञान की परम्पराओं, सृजन, अर्जन और प्रसारण को प्राप्त करना तथा वैसा संसारिक दृश्य जो विद्वानों द्वारा अनेक देशों के बीच जहॉ विचार मिले, होता था,

(2) संसार में युद्ध, आतंक, हिंसा और भयमुक्त एक समावेशी समाज के निर्माण का कार्य करना;

(3) एशिया के देशों तथा अन्य देशों के विद्वानों तथा हितबद्ध व्यक्तियों के बीच एक अद्भूत सहभागिता का सृजन करना;

(4) संसार के किसी अन्य भाग के विचारों एवं व्यवहारिकताओं को छोड़े बिना समकालीन सन्दर्भ में बुद्ध के उपदेशों को समझना;

(5) शिक्षण और शोध द्वारा ज्ञान बृद्धि और समझ का प्रसारण एवं सम्बर्द्धन करना तथा उदाहरणों द्वारा इसके निगमित जीवन तथा विशिष्टतः प्रस्तावना में दिये गये अन्य उद्देश्यों के लिए प्रभावित करना;

(6) व्यापार, विज्ञान, गणित, ज्योतिष विधा, दर्शन, क्रॉस कल्चरर करेन्ट जैसे क्षेत्रों में मजबूत ऐतिहासिक समानताओं से बंधे हुए एशियन देश विशिष्टतः दक्षिण एशिया एवं पूर्व एशिया के बीच बृहत विचार विमर्श के लिए शोध को बढ़ावा देना ।

6. **विश्वविद्यालय की शक्तियॉ और कार्य ।** — विश्वविद्यालय की शक्तियॉ और कार्य निम्नलिखित होंगें :—

(1) साकल्यवाद संबंधी एवं व्यापक शिक्षा प्रशिक्षण एवं शोध जैसा कि उद्देश्य में शिक्षा के लिए दिया गया है, उपबंध में करने, उत्क्रमित करने एवं संवर्द्धित करने के लिए प्रावधान करना तथा भारत, एशिया के देशों तथा अन्य देशों में विशेषज्ञों, विद्वानों तथा हितबद्ध व्यक्तियों के घनिष्ठ सहयोग से शिक्षा के लक्ष्य के लिए एक समर्थक तथा प्रेरक वातावरण का सृजन करना;

(2) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारों तथा मित्र देशों का एक संघ स्थापित करना;

(3) परामर्शदात्रृ सेवाओं, चल रहे शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, बुद्धिजीवी सम्पति अधिकारों के माध्यम से संसाधन उत्पन्न करना तथा संधारण करना;

(4) डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र तथा अन्य शैक्षणिक उपाधियों को संस्थित करना तथा देना;

(5) परीक्षा का आयोजन करना तथा डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र तथा अन्य उपाधियॉ और ऐसी शर्त्तों के अधीन रहते हुए जो विश्वविद्यालय द्वारा विहित किया जाय, व्यक्तियों को देना तथा अच्छे और प्रर्याप्त कारणों से किसी ऐसे डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र अथवा अन्य शैक्षणिक उपाधियों को वापस लेना;

(6) विहित रीति से मानद डिग्री देना;

(7) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित प्रोफेसरशीप, रीडरशीप, लेक्चररशीप तथा कोई अन्य शैक्षणिक पद संस्थित करना और प्रोफेसरशीप, रीडरशीप, लेक्चररशीप तथा अन्य पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;

(8) फेलोशीप, स्कॉलरशीप, अध्ययनवृत्ति, मेडल तथा पुरस्कारों को संस्थित करना तथा देना;

(9) हॉल तथा छात्रावास को संस्थित करना तथा संधारित करना;

(10) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवास तथा अनुशासन का प्रर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना तथा उनके स्वास्थ्य तथा सामान कल्याण को प्रोन्नत करने के लिए व्यवस्था करना;

(11) विश्वविद्यालय की छात्रों एवं कर्मचारियों के बीच अनुशासन नियमित करने तथा उसका प्रवर्त्तन करना तथा इस संबंध में अनुशासनिक एवं उपाय करना जो आवश्यक समझा जाय;

(12) प्रयोगशाला, पुस्तकालय, संग्रहालय का गठन करना तथा यथा अपेक्षित शिक्षण तथा शोध के लिए अन्य उपकरणों का उपबंध करना;

(13) ऐसी फीस तथा अन्य प्रभारों की माँग करना तथा उसे प्राप्त करना जो विहित किये जाय;

(14) ऐसे न्यास तथा दातव्यों को धारित करना तथा उसका प्रबंध करना जो इस विश्वविद्यालय के पक्ष में सृजित किये जाय;

(15) विभिन्न विभागों तथा सुविधाओं, जैसे मुद्रण तथा प्रकाशन, सेवा विस्तार, सूचना ब्यूरो, नियोजन ब्यूरो तथा नौलेज नेटवर्क संस्थित करना तथा प्रबंध करना;

(16) ऐसे वर्गो तथा समुदायों के बीच जो सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से अविकसित तथा निःशक्त हो, शाक्यलवाद तथा समावेशी शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष प्रावधान करना;

(17) शिक्षा, शिक्षण, शोध तथा अन्य संबंधित क्रिया–कलापों में एशिया तथा अन्य देशों के छात्रों तथा विशेषज्ञों को सहभागिता के लिए विशेष प्रावधान करना;

(18) बौद्धिष्ट, एशियाई तथा अन्य ऐतिहासिक परम्पराओं से प्राप्त शारीरिक तथा शांति बनाने बनाये रखने वाले प्रशिक्षण, स्पोर्टस तथा खेलकूद सुविधाएँ, विशेष शारीरिक मानसिक तथा आध्यात्मिक, व्यायाम के लिए प्रावधान करना;

(19) प्रशासनिक, अनुसचिवीय तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उस पर नियुक्ति करना;

(20) राज्य सरकार, संघ सरकार या विदेशी सरकारों से उपहार, दान या अनुदान प्राप्त करना और यथा स्थिति ट्रस्टी, दानकर्ताओं या अंतरकों से प्राप्त उतराधिकार, दान और चल–अचल सम्पति का अंतरण करना;

(21) किसी प्रयोजन के लिए पूर्णतः अंशतः, किसी संस्था या उसके सदस्यों या छात्रों को, ऐसे निबंधन और शर्तों पर जो समय–समय पर विहित की जाय मान्यता देना तथा उस मान्यता को वापस लेना;

(22) विश्वविद्यालय के उप प्रयोजनों तथा समान उद्देश्यों के संबर्द्धन का विचार रखने वाले किसी अन्य विश्वविद्यालय प्राधिकार या एसोसियेशन या कोई अन्य लोक या निजी निकाय जो उस प्रयोजन के लिए, ऐसे निबंधन और शर्त्तों पर जो समय–समय विहित किये जाने पर सहमत हो, के साथ सहयोग करना;

(23) किसी अन्य संस्था, विश्वविद्यालय के निगमन हेतु तथा उसके अधिकारों के सम्पतियों तथा दायित्वों और किसी अन्य प्रयोजन के लिए जो इस अधिनियम के विरूद्ध न हो, अधिग्रहण करने हेतु कोई एकरारनामा करना;

(24) सभी ऐसे अन्य कार्य करना, चाहे उपरोक्त शक्तियों, अनुषंगी हो अथवा नहीं, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए अपेक्षित हो ।

7. **धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थल का ध्यान नहीं रखते हुए विश्वविद्यालय सभी के लिए खुला रहना ।** — (1) केवल धर्म, मूलवंश, जाति लिंग या जन्मस्थल, निःशक्तता अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी पद या उसकी प्राधिकारों की किसी सदस्यता या किसी डिग्री, डिप्लोमा या अन्य शैक्षणिक उपाधि या पाठ्यक्रम का नामांकन से किसी व्यक्ति को अपवर्जित नहीं किया जायगाः

किन्तु विश्वविद्यालय शिक्षा, अनुदेशन या आवास, केवल महिला हेतु कोई महाविद्यालय संधारित कर सकेगा अथवा एशियाई देशों तथा यथा विनिश्चित अन्य देशों के छात्रों के लिए अथवा वैसे वर्गों या समुदायों के महिलाओं या सदस्यों के लिए किसी महाविद्यालय में छात्र के रूप में नामांकन के प्रयोजनार्थ आरक्षण कर सकेगा जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हो ।

(2) किसी व्यक्ति पर कोई जाँच धर्म, मूलवंश जाति, लिंग जन्मस्थल चाहे जो भी, विश्वविद्यालय में उसे कोई पदधारित करने हेतु हकदार करने या विश्वविद्यालय अथवा उसके सज्जीकरण के किसी विशेषाधिकार की सुविधा प्राप्त करने या प्रयोग करने हेतु अधिरोपित करने, विश्वविद्यालय इसके लिए विधिपूर्ण नहीं होगा ।

8. **विजिटर ।** — (1) विश्वविद्यालय का एक विजिटर होगा ।

(2) विजिटर की नियुक्ति विनियमावली में विहित रीति से होगी ।

(3) विजिटर के समय–समय पर विश्वविद्यालय के कार्यों तथा प्रगति के पुनर्विलोकन हेतु एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा तथा उस पर एक प्रतिवेदन दे सकेगा तथा प्रतिवेदन की प्राप्ति पर विजिटर उस पर कार्यपालिका पर्षद के विचार प्राप्त करने के बाद ऐसी कार्रवाई करेगा तथा ऐसा निदेश दे

सकेगा जिसे वह प्रतिवेदन में दिये गये विषय में से किसी के संबंध में आवश्यक विचार करें और विश्वविद्यालय इसको पूरा करने के लिए बाध्य होगा।

(4) विजिटर को, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिसे वह निदेशित करे, विश्वविद्यालय, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं तथा उपकरणों तथा विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी संस्था और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं, शिक्षण तथा किये गये अन्य कार्यों और विश्वविद्यालय से संबंधित किसी विषय के संबंध में कारवाई गई किसी जाँच पड़ताल का निरीक्षण करवाने का अधिकार होगा।

(5) विजिटर प्रत्येक मामले में कराये जानेवाले निरीक्षण या कराई जाने वाली जाँच पड़ताल के अपने आशय की सूचना विश्वविद्यालय को देगा और विश्वविद्यालय एक प्रतिनिधि जिसे निरीक्षण या जाँच के समय उपस्थित रहने तथा सुने जाने का अधिकार होगा, की नियुक्ति करने का हकदार होगा।

(6) निरीक्षण और जाँच पड़ताल के परिणाम के सन्दर्भ में विजिटर कुलपति को संबोधित कर सकेंगे और कुलपति विजिटर के विचारों को उस सलाह के साथ जो विजिटर उस पर की जानेवाली कार्रवाई का ऑफर करे, शासी निकाय को संसूचित कर देंगे।

(7) शासी निकाय कुलपति के माध्यम से ऐसी कार्रवाई को, यदि कोई हो जो ऐसे निरीक्षण अथवा जाँच पड़ताल के परिणामस्वरूप किये जाने हेतु प्रस्तावित हो, अथवा की गई हो, विजिटर को सूचित कर देगी।

(8) जहाँ शासी निकाय, युक्तियुक्त समय के भीतर विजिटर के समाधानप्रद रूप में कार्रवाई नहीं करें वहाँ विजिटर शासी निकाय द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद ऐसे निदेश निर्गत कर सकेंगे जिसे वह उपयुक्त समझे और शासी निकाय उन निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

(9) विजिटर लिखित रूप में विश्वविद्यालय की किसी ऐसी कार्रवाई को बाधित कर सकेगा जो इस अधिनियम या नियमावली के अनुरूप नहीं हो।

(10) विजिटर को ऐसी अन्य शक्तियाँ भी होगी जो विनियमावली द्वारा विहित किये जाये।

9. **कुलाधिपति ।** —(1) विश्वविद्यालय का एक कुलाधिपति होगा, जो अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त व्यक्ति होगा ।

(2) शासी निकाय द्वारा अनुशंसित कम से कम तीन व्यक्तियों के पैनल में से कुलाधिपति की नियुक्ति विजिटर द्वारा की जायेगी जो, यदि आवश्यक हो, नई अनुशंसा की माँग कर सकेंगे ।

(3) कुलाधिपति विश्वविद्यालय के कैम्पस के भीतर निवास नहीं कर सकेंगे। किन्तु यदि उपस्थित हुए तो दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर सकेंगे और विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व उसके प्रधान के रूप में करेंगे। कुलाधिपति के पद की परिलब्धियाँ एवं विशेषाधिकार विनियमावली द्वारा विहित किये जायेगे ।

10. **विश्वविद्यालय के पदाधिकारी ।** —(1)विश्वविद्यालय के निम्नांकित पदाधिकारी होंगें :—

(क) कुलपति;

(ख) डीन;

(ग) कुल सचिव;

(घ) वित्त पदाधिकारी;

(ड.) परीक्षा नियंत्रक;

(च) पुस्तकालयाध्यक्ष;

(छ) ऐसे अन्य पदाधिकारी जो परिनियम द्वारा विश्वविद्यालय के पदाधिकारी घोषित किये जायें।

11. **कुलपति ।** – (1) विश्वविद्यालय का एक कुलपति होगा ।

(2) कुलपति की नियुक्ति विनियमावली में यथा विहित रीति से होगी ।

12. **कुलपति के अधिकार एवं कर्तव्य ।** — (1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक तथा शैक्षणिक प्राधिकारी होगें और विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के विनिश्चयों के प्रभावी करेंगे और विनियमावली के अनुसार विश्वविद्यालय के कार्यकलापें के सामान नियंत्रण रखेंगे।

(2) कुलपति को शासी निकाय पर शैक्षणिक परिषद् का बैठक बुलाने का अधिकार होगा,

(3) कुलपति को यह सुनिश्चित करना कर्तव्य होगा कि वे इस अधिनियम तथा विनियमावली के प्रावधानों को विश्वास पूर्वक पालन कर रहे हैं और उनको इस परियोजनार्थ सभी आवश्यक शक्तियाँ हो।

(4) कुलपति की राय में यदि कोई आकस्मिकता उत्पन्न हो जाए जिसके कारण तुरन्त कार्रवाई करना अपेक्षित हो तो कुलपति ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जैसा वह आवश्यक समझे और प्राधिकार की दूसरी बैठक में सम्पुष्टि के लिए प्रतिवेदन देंगे जो सामान्य प्रक्रिया में निपटाया जायेगाः

परन्तु कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई यदि संबंधित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न की जाय तो उसे विजिटर को निदेशित कर सकेगा जिसका उसपर विनिश्चय अन्तिम होगाः

परन्तु और कि जहाँ कुलपति द्वारा की गई कोई कार्रवाई विश्वविद्यालय में सेवा करने वाले किसी व्यक्ति को प्रभावित करते हो तो वह व्यक्ति उस कार्रवाई की सूचना की प्रति की तिथि से तीस दिनों के अन्दर शासी निकाय के समक्ष अपील करने का हकदार होगा।

(5) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों के प्रयोग करेगा जो विनियमावली द्वारा विहित की जाय।

13. कुलसचिव की नियुक्ति, अधिकार कर्तव्य एवं सेवा शर्त्तें । — (1) कुलसचिव कुलपति के अनुशंसा पर शासी निकाय द्वारा पाँच वर्षो की कलावधि के लिए नियुक्त होगें और

(2) कुलसचिव की सेवा निबंधन और शर्त्ते वही होगें जो शासी निकाय द्वारा विनिश्चित की जायेगाी।

(3) कुलसचिव सामान्य परिषद् तथा शैक्षणिक परिषद् के पदेन सचिव होंगें।

(4) कुलसचिव के निम्नलिखित कर्तव्य होगेंः—

(क) विश्वविद्यालय के अभिलेखों, समान मुहर तथा ऐसे अन्य सम्पति जिसे शासी निकाय उन्हे प्रभाव में सौपें, के अभिरक्षक होगें;

(ख) शासी निकाय तथा शैक्षणिक परिषद् की सभा की बैठक का कार्यवृत्त रखना;

(ग) शासी निकाय तथा शैक्षणिक के कार्यालय पत्राचार का संचालन करना;

(घ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की व्यवस्था करना तथा उसका अधीक्षण करना;

(ड़) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो समय समय पर कुलपति या विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद् द्वारा उनकों समानुदेशित किया जाय।

14. **विश्वविद्यालय के प्राधिकार ।** — विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकार होगें यथाः—

(i) सभा;

(ii) शासी निकाय;

(iii) शैक्षणिक परिषद;

(iv) वित्त समिति;

(v) अध्ययन बोर्ड; और

(vi) ऐसे अन्य प्राधिकार जो विनियमावली द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकार होना घोषित किया जाय।

15. **सभा ।** — (1) निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर एक सभा होगी यथाः—

(क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) शासी निकाय के सदस्य;

(घ) संकायों के डीन;

(ड.) वित्त पदाधिकारी;

(च) परीक्षा नियंत्रक;

(छ) पुस्तकालयाध्यक्ष;

(ज) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार संस्थाओं के प्रधान;

(झ) विश्वविद्यालय और सम्बद्ध संस्थानों के बीच से, वरीयता कम में रोटेशन द्वारा चयनित चार शैक्षणिक स्टाफ;

(ञ) कनियतम तथा वरीयतम वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले उस वर्ग के छात्र निकाय द्वारा निर्वाचित या चयनित प्रत्येक संस्था से दो छात्र;

(ट) शासी निकाय के परामर्श से विद्वानवुत्ति का विश्वविद्यालय के हीत से विशेष हितो खासकर उदेश्यों का अक्षरशः सम्बोधन का प्रतिनिधित्व करने वाले विजिटर द्वारा नाम निर्दिष्ट छह व्यक्ति;

(ठ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि;

(ड) राज्य सरकार का दो प्रतिनिधि, में से एक सरकार के सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग होगें;

(ढ) विजिटर द्वारा विनिश्चित कुल नौ से अनधिक भागीदार तथा दानकर्ताओं, देश से बाहर के व्यक्ति सहित, के प्रतिनिधि;

(ण) विजिटर द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने वाले दो ख्याति प्राप्त शिक्षाविद या सम्मान प्राप्त आध्यात्मिक नेता।

(2) सभा के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षो का होगा, सिवाय पदेन सदस्यों के जो तबतक बने रहेंगे जबतक वे संबद्ध पद धारित करेगें ।

(3) सभा की वार्षिक बैठक शासी निकाय द्वारा नियत तिथि को होगी जबतक किसी वर्ष में सभा द्वारा कोई अन्तिम तिथि नियत न की जाय।

(4) सभा की वार्षिक बैठक में प्राप्ति एवं व्यय की विवरणी, अंकेक्षित बैलेंस शीट ताकि अगले वर्ष के लिए वित्त प्राक्कलनों सहित वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

(5) शासी निकाय कुलपति द्वारा सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकेगी।

(6) सभा के पन्द्रह सदस्यों की उपसमिति से सभा की बैठक की गणपूर्ति होगी।

16. **शासी निकाय ।** — (i) शासी निकाय निम्नलिखित को मिलाकर होगी यथा : —

(क) कुलपति;

(ख) संकायों के डीन;

(ग) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त संस्थाओं के तीन प्रधान उनके नामांकन की तिथि के अनुसार;

(घ) सरकार के सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग;

(ड़) विजिटर द्वारा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नाम निर्दिष्ट दो व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के हितो तथा विशेज्ञता प्राप्त करने हेतु ज्ञान रखते हो;

(च) कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट विश्वविद्यालय दो आचार्य या प्राध्यापक;

(छ) बड़े भागीदारो और दानकर्ताओं के प्रतिनिधि जो विजिटर द्वारा विनिश्चित किये जाने वाले चक्रानुक्रम में अधिकतम तीन सदस्य, यदि आवश्यक हो;

(ii) शासी निकाय का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा;

(iii) शासी निकाय के सदस्य के रूप में कोई भी व्यक्ति एक से अधिक हैसियत में नही रहेगा और जब कभी कोई व्यक्ति एक से अधिक हैसियत में सदस्य हो जाये तो वह दो सप्ताह के भीतर लिखित रूप में उस हैसियत की जिस हैसियत में सदस्य रहने का इच्छा करें ताकि अन्य पद खाली करने की सूचना कुलसचिव को दे देने में असफल रहने पर उसके द्वारा पूर्व धारित पद कुछ समय के बाद रिक्त माना जायेगा;

(iv) शासी निकाय के सात सदस्यों की उपस्थिति से शासी निकाय की गणपूर्ति होगी।

17. **शासी निकाय की शक्तियाँ एवं कृत्य ।** — (1) शासी निकाय, अन्यथा उपबंध के सिवाय, विश्वविद्यालय को राजस्व एवं सम्पति का प्रबंधन और प्रशासन तथा विश्वविद्यालय के सभी प्रशासनिक क्रिया कलापों के संचालन की शक्ति होगी,

(2) अधिनियम के विनियमावली के प्रावधानों के अधीन रहते हुए शासी निकाय को नियमावली द्वारा और के अधीन इसमें निहित अन्य शक्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियाँ होगी, यथा :

(क) शिक्षण तथा अन्य शैक्षणिक पदों का सृजन करना ताकि शासी निकाय की अनुशंसा को ध्यान में रखने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त आचार्य, रीडर,, प्राध्यापक अन्य शिक्षक तथा शैक्षणिक स्टाफ के कृतियाँ एवं सेवाशर्त्तों को परिभाषित करना;

(ख) शासी निकाय की अनुशंसाओं को ध्यान में रखने के बाद शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ के लिए अर्हता और अन्य प्रात्रता की शर्त्तो को विहित करना;

(ग) इस प्रयोजनार्थ गठित चयन समिति की अनुशंसा पर यथा आवश्यक आचार्य, वाचक, व्याख्याता तथा शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति करना;

(घ) किसी शैक्षणिक स्टाफ व अस्थायी रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति करना;

(ड़) शैक्षणिक स्टाफ की अस्थायी रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति रीति विनिर्दिष्ट करना;

(च) आगन्तुक प्राध्यापकों, कलाकारों तथा लेखकों की नियुक्ति के लिए उपबंध करना तथा ऐसे नियुक्ति का निबंधन और शर्त्त विनिश्चित करना;

(छ) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखा, निवेश तथा अन्य सभी क्रिया कलापों का प्रबंधन करना तथा विनियम करना और ऐसे अभिकर्त्ताओ को नियुक्त करना जो उसके द्वारा उपयुक्त समझा जाए;

(ज) विश्वविद्यालय के लिए किसी राशि का निवेश करना और इसमें स्टाफ, फण्ड, शेयर अथवा प्रतिभूति जिसे उपयुक्त समझा जाए अथवा भारत में अचल सम्पति के क्रय में

समय–समय पर ऐसे निवेश बदलने की शक्ति के साथ जो उपयुक्त हो, अनुपयोजित आय शामिलः

किन्तु इस धारा के अन्तर्गत कोई कार्य वगैर वित्त समिति के सलाह लिए नही हो सकेगा;

(झ) वित्त समिति की अनुशंसाओं को ध्यान में रखने के बाद प्रशासनिक, अनुसचीवीय तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उसपर नियुक्ति की रीति विनिर्दिष्ट करना;

(ञ) कर्मचारियों के बीच विनियमावली के अनुसार अनुशासन विनियमित तथा परवर्तित करना;

(ट) विश्वविद्यालय की ओर से किसी अचल या चल सम्पति का अर्न्तरण करना अथवा अर्न्तरण प्राप्त करना;

(ठ) विश्वविद्यालय के ऐसे कर्मचारियों और छात्रों की, जो किसी कारण से व्यथित महसूस करते हों शिकायतों को ग्रहण करना उसका अधिनिर्णित करना अथवा कोई निदान निकालना;

(ड) परीक्षकों, पर्यवेक्षकों तथा अधीक्षकों को देय पारिश्रमिक तथा वित्त समिति के परामर्श से भुगदेय यात्रा एवं अन्य भत्ते नियत करना;

(ढ़) विश्वविद्यालय के लिए मान्य मुहर का चयन करना तथा उस मुहर के उपयोग के लिए उपयोग करना;

(ण) अपनी शक्तियों में से कम शक्ति कुलपति एवं रजिस्ट्रार, वित्त पदाधिकारी या कोई अन्य पदाधिकारी, कर्मचारी या विश्वविद्यालय का प्राधिकार या इसके द्वारा नियुक्ति किसी समिति को प्रत्यायोजित करना;

(त) फेलोशीप, छात्रवृति, अध्यतनवृति संस्थित करना;

(थ) ऐसी अन्य शक्तियों का योग तथा अन्य कृत्यों का अनुमोदन करना जो नियमावली द्वारा उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किया जाए ।

(3) शासी निकाय को, अन्यथा उपबंध के सिवाय, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस अधिनियम तथा विनियमावली द्वारा विश्वविद्यालय की सभी शक्तियों के प्रयोग करने की शक्ति होगी।

18. **शैक्षणिक परिषद् ।** — शैक्षणिक परिषद् में निम्नलिखित सदस्य यथाः

(i) कुलपति;

(ii) अध्ययन विद्यालयों के डीन;

(iii) संबंधित संस्थाओं के प्रधान;

(iv) पुस्तकालयाध्यक्ष;

(v) कुलपति द्वारा तीन वर्षो के लिए नाम विनिर्दिष्ट होने वाले मान्यता प्राप्त शिक्षकों और या विश्वविद्यालय शिक्षकों के बीच से अनधिक पॉच व्यक्तिः

परन्तु कम से कम एक व्यक्ति आचार्य, वाचक और प्रवक्ता वर्ग से मनोनीत किया जायेगा; और यह भी कि कोई भी व्यक्ति तुरन्त दूसरी बार के लिए पुनः मनोनीत नही किया जाएगा;

(vi) विजिटर द्वारा मनोनीत पॉच व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के उद्देश्य एवं लक्ष्य के प्रति सांस्कृतिक रूप में जुड़े;

(vii) शैक्षणिक परिषद् द्वारा विशिष्ट ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के बीच से सहयोजित अनधिक दस व्यक्ति जो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था के कर्मचारी न हो और उसमें कर्मचारी संगठन उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य, सामाजिक तथा परोपकारी संस्था, शैक्षणिक शोध और व्यवसायिक संगठन तथा संचार क्षेत्रों से आने वाले शामिल है।

19. **शैक्षणिक परिषद् की शक्तियाँ एवं कृत्य ।** — (1) इस अधिनियम तथा नियमावली सुसगत उपबंध के अधीन रहते हुए शैक्षणिक परिषद् को, इसमें निहित या विनियमावली के अधीन सभी अन्य शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियाँ होगी, यथाः—

(क) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीति का सामान्य पर्यवेक्षण करना तथा शैक्षणिक स्तरों में अनुदेश, मूल्यांकन या शक्ति या संबर्द्धन से संबंधित निदेश देना;

(ख) स्वप्रेरण से अथवा अध्ययन विद्यालय या शासी निकाय के निर्देश पर सामान्य शैक्षणिक हित के विषयों पर विचार करना तथा उस पर समुचित कार्रवाई करना;

(ग) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कियाकलापों से संबंधित, अनुशासन, नामांकन, फेलोशीप एवं अध्ययनवृति, फीस तथा अन्य शैक्षणिक उपकरण देने सहित ऐसी विनियमावली बनाना जो इस विनियमावली से संबंद्ध हो ।

(2) पदेन सदस्यों के सिवाय शैक्षणिक परिषद् के सदस्यों की पदावधि यथास्थिति की नियुक्ति या सहयोजन की हित से तीन वर्षों के लिए होगी।

(3) शैक्षणिक परिषद् के एक तिहाई सदस्यो की उपस्थिति से बैठक की गणपूर्ति होगी।

20. **वित्त समिति** । — (1) निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर वित्त समिति होगी, यथाः—

(i) अध्यक्ष के रूप में कुलपति;

(ii) बिहार सरकार के आयुक्त एवं सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग;

(iii) कुलसचिव;

(iv) शासी निकाय द्वारा अपने सदस्य के बीच से जो एक आचार्य होगा, शासी निकाय द्वारा नाम निर्दिष्ट दो अन्य सदस्य;

(v) यदि आवश्यक हो तो चक्रानुक्रम से, विजिटर द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय दाताओं के दो प्रतिनिधि;

(vi) वित्त पदाधिकारी जो समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगें ।

(2) वित्त समिति का नाम निर्दिष्ट साक्ष्य तबतक अपना पद धारित करेंगें जबतक वे शासी निकाय के सदस्य बने रहेंगें।

(3) वित्त समिति के कृत्य एवं कर्तव्य निम्नलिखित होंगें:

(क) विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट परीक्षा एवं संवीक्षा करना तथा शासी निकाय के वित्तीय विषयों पर अनुशंसा देना;

(ख) नये व्यय के लिए सभी प्रस्तावों पर विचार करना तथा शासी निकाय को अनुशंसा देना;

(ग) समय—समय पर विश्वविद्यालय के सामयिक लेखा विवरणी पर विचार करना तथा वित्त का पुनर्विलोकन करना तथा पुनर्विनियोजन विवरणी तथा अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर विचार करना तथा शासी निकाय को अनुशंसा देना;

(घ) स्वप्रेरण से अथवा शासी निकाय या कुलपति के निदेश पर विश्वविद्यालय को प्रभावित करने वाले किसी विषय विन्दू पर अपना विचार देना तथा शासी निकाय को अनुशंसा करना ।

(4) वित्त सिमिति की बैठक वर्ष में अपने से कम तीन बार होगी। वित्त समिति के तीन सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्ति होगी।

(5) वित्त समिति की अध्यक्षता कुलपति द्वारा और उनकी अनुपस्थिति में उपस्थति सदस्य बैठक की अध्यक्षता करने हेतु एक को निर्वाचित करेंगे परन्तु इसके लिए कुलसचिव या वित्त अधिकारी का निर्वाचन नहीं किया जायेगा ।

21. **अध्ययन विद्यालयों तथा संकायो के डीन । –** (1) संकायों तथा अध्ययन विद्यालयों के प्रत्येक डीन कुलपति द्वारा विद्यालय के आचार्यो के बीच से दो वर्षो की अवधि के लिए नियुक्त किया जायेगा और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगाः

अपने पद के कृतियों का पालन करने में असमर्थ हो, तो उस पद के कृतियों का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसे इस प्रयोजनार्थ कुलपति नियुक्त करें ।

(2) संकायों/अध्ययन विद्यालयों के प्रधान डीन होगें और शिक्षण का संचालन तथा संकाय/विद्यालय में शोध के स्तर के लिए वे उत्तरदायी होगें। उन्हे ऐसे अन्य कार्य करने होगे जो विनियमावली द्वारा विहित किये जाये।

(3) डीन को, यथास्थिति विद्यालय व बोर्ड या समिति के किसी बैठक में उपस्थित रहने तथा बोलने का अधिकार है किन्तु उन्हे तबतक कोई मत देने का अधिकार नही होगा जबतक वे उनके सदस्य नहीं हों।

22. **अध्ययन बोर्ड । –** शासी निकाय सिलेबस तथा अन्य संबंधित विषयों के विनिश्चय करने हेतु विभिन्न अध्ययन बोर्ड की स्थापना कर सकेगा ।

23. **विश्वविद्यालय का भवन निर्माण कला । –** विश्वविद्यालय का वास्तु एवं भवन एवं इसके परिसर को सावधानीपूर्वक डिजाइन किया जाएगा जो विश्वविवद्यालय के लिए बनाये गये लक्ष्य एवं उद्देश्यों को दर्शा सकें ।

24. **विश्वविद्यालय के संकाय । –** विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ का अनुपात सर्वदा 70:30 में होगा; और विश्वविद्यालय के संकाय के सदस्यों का इस प्रकार चयन किया जायेगा कि वे विश्वविद्यालय के लक्ष्य एवं उद्देश्य के प्रति सांस्कृतिक रूप से अनुकूल हो ।

25. **विनियमावली** । —इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए शासी निकाय तथा शैक्षणिक परिषद् को सिवाय विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों तथा प्राधिकारों की अतिरिक्त शक्तियों और कर्त्तव्य विनियमावली द्वारा उपबंधित किये जायेगे ।

26. **प्रथम विनियमावली** । — (1) विश्वविद्यालय का प्रथम विनियमावली राज्य सरकार द्वारा विजिटर के अनुमोदन से बनाई जायेगी और राजपत्र में अधिसूचित की जायेगी ।

(2) शासी निकाय, समय समय पर नई अथवा अतिरिक्त विनियमावली बना सकेगी तथा नियमावली का संशोधन अथवा निरसन कर सकेगाः

परन्तु शासी निकाय विश्वविद्यालय की हैसियत शक्ति अथवा किसी विद्वान प्राधिकार के गठन को प्रभावित करने वाली विनियमावली के संशोधन का प्रारूप प्रस्तावित तबतक नही करेगा जबतक उस प्राधिकार के प्रस्ताव पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर नही दे दिया गया हो और ऐसी अभिव्यक्त कोई राय लिखित रूप में होगी और शासी निकाय द्वारा इस पर विचार कर लिया जाय ।

(3) प्रत्येक नई विनियमावली या विनियमावली के अतिरिक्त अथवा किसी विनियमावली का कोई संशोधन तथा निरसन के लिए शासी निकाय के अनुमोदन की अपेक्षा होगी जो ऐसे अनुमोदन अस्वीकार या आगे विचारण के लिए भेज सकेगा :

परन्तु वर्तमान में प्रभावी विनियमावली को परिवर्तन करने अथवा निरसन करने के लिए कोई नई विनियमावली तबतक प्रभावी नही होगा, जबतक की विजिटर, जिन्हें प्रस्ताव को पुनर्विचार हेतु वापस करने अथवा उसे अस्वीकृत करने की शक्ति होगी, के द्वारा उसे स्वीकृत नही किया जाता है ।

27. **विनियमावली जिसके लिए बनाई जायेगी** । — इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, विनियमावली में निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी विषय के लिए उपबंध किया जा सकेगा, यथा :

(क) शैक्षणिक परिषद् एवं अन्य प्राधिकारों का गठन, शक्तियों एवं कृत्य जो समय समय पर गठित करना आवश्यक समझा जाए;

(ख) विजिटर एवं कुलपति की नियुक्ति सहित विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियाँ एवं कर्तव्य;

(ग) भविष्यनिधि, पेंशन का गठन विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लाभ के लिए बीमा स्कीम की स्थापना;

(घ) मानद डिग्री देना;

(ड.) डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्र और शैक्षणिक उपाधियों की वापसी;

(च) संकायों, विभागों, हॉल, छात्रावास महाविद्यालय, केन्द्र तथा विद्यालय की स्थापना और गठन;

(छ) शर्त्तें जिनके अधीन महाविद्यालय, विद्यालय तथा केन्द्र विश्वविद्यालय को विशेषाधिकार प्राप्त हो सकेगा और इस विशेषाधिकारों की वापसी;

(ज) विश्वविद्यालय मे छात्रों के प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन;

(झ) विश्वविद्यालय के सभी डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्रों के लिए दिया गया पाठ्यक्रम;

(ञ) विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाने वाला डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र और अन्य शैक्षणिक उपाधियाँ, इसके लिए अर्हता और उसे देने और प्राप्त करने के संबंध में ली जानेवाली राशि;

(ट) विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम तथा परीक्षा में प्रवेश, विश्वविद्यालय के डिग्री डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;

(ठ) फेलोशिप, छात्रवृत्ति, अध्ययनरत प्रदर्शनियों, मेडल तथा पुरस्कार देने हेतु शर्त्तें;

(ड) परीक्षक निकायों, परीक्षकों एवं अनुशीलकों (मोडरेटर्स) की पदावधि, नियुक्ति की रीति एवं कर्तव्यों सहित परीक्षाओं का संचालन;

(ढ़) विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच अनुशासन बनाये रखना;

(ण) विश्वविद्यालयों के छात्रों के आवासन से संबंधित शर्त्तें;

(त) विश्वविद्यालयों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा का निबंधन और शर्त्तें तथा परिलब्धियाँ;

(थ) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या संधारित महाविद्यालयों, विद्यालयों एवं केन्द्रों के प्रधान;

(द) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालयों, संस्थाओं, विद्यालयों एवं केन्द्रों के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण;

(ध) ऐसे सभी अन्य विषयों जो अधिनियम या विनियमावली द्वारा उपबंधित किये गये हो ।

28. **वित्त पोषण तथा अन्तर्राष्ट्रीय निधि की व्यवस्था ।** — (1) विश्वविद्यालय की स्थापना तथा इसे चलाने हेतु वित्त पोषण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारों तथा मित्र देशों से नवीन रूप से विचार किया गया है जो इस विश्वविद्यालय के विलक्षण अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति के विचार से शैक्षणिक उत्कर्ष एवं उसकी स्वायतता सुनिश्चित करेगा।

(2) विश्वविद्यालय अपने व्ययों को प्राथमिक रूप से स्ववित्तपोषण तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारों से प्राप्त अनुदान एवं दान के माध्यम से पूरा करेगा।

(3) सरकार, समय–समय पर, ऐसी राशि विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा सकेगी जो उपयुक्त समझे।

29. **वार्षिक प्रतिवेदन ।** – विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा और शासी निकाय के समक्ष उस तिथि को या पूर्व जो विनियमावली द्वारा विहित की जाये, इसकी वार्षिक बैठक में अनुमोदन के लिए भेजा जायेगा। वार्षिक प्रतिवेदन सरकार तथा विजिटर को भेजा जायेगा।

30. **वार्षिक लेखा ।** – विश्वविद्यालय के आय एवं व्यय का लेखा वर्ष में एक बार राज्य सरकार के समक्ष उसे परीक्षण एवं अंकेक्षण के लिए भेजा जायेगा, जो राज्य सरकार निदेशित करे।

31. **रिक्तियों के कारण प्राधिकारों तथा निकायों की कोई कार्रवाई या कार्यवाही का अविधिमान्य नहीं होना ।** – विश्वविद्यालय की स्थापना के समय में अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार की प्रथम बैठक से संबंधित अथवा इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रथम बार प्रभावित करने से अन्यथा यदि कोई विवाद उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, विश्वविद्यालय के प्राधिकार का गठन होने के पूर्व किसी भी समय, आदेश द्वारा कोई नियुक्ति कर सकेगी अथवा कठिनाईयों को दूर करने के प्रयोजनार्थ कुछ भी कर सकेगी जो विधिसंगत हो और ऐसे प्रत्येक आदेश का प्रभाव ऐसा होगा मानो इस अधिनियम में उपबंधित रीति से ऐसी नियुक्ति या कार्रवाई की गई है।

32. **विजिटर का विनिश्चय ।** – यदि कोई विवाद उठे कि कोई व्यक्ति सम्यक् रूप से नाम निर्दिष्ट या नियुक्त हुआ है अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या निकाय के सदस्य होने के हकदार है या नहीं तो वह विषय विजिटर को निर्देशित कर दिया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

33. **प्रथम विजिटर की नियुक्ति ।** – इस अधिनियम एवं विनियमावली में किसी बात के होते हुए भी, प्रथम विजिटर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

34. **प्रथम कुलपति तथा प्रथम कुलसचिव की नियुक्ति ।** – इस अधिनियम एवं विनियमावली में किसी बात के होते हुए भी, प्रथम कुलपति तथा प्रथम कुलसचिव राज्य सरकार द्वारा विजिटर के

अनुमोदन से, ऐसे वेतनमान एवं निबंधन और शर्त्तों पर नियुक्त किये जायेंगे जो उसके द्वारा नियत किये जायें और उक्त प्रत्येक पदाधिकारी उसके द्वारा नियत अवधि तक अपना पद धारित करेंगे किन्तु पाँच वर्ष से अधिक नहीं।

35. **सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।** — विश्वविद्यालय की किसी पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी या किसी प्राधिकार के विरूद्ध किसी ऐसी बात के लिए जो सद्भावपूर्वक अथवा इस अधिनियम या विनियमावली के किसी प्रावधान के अनुशरण में किये जाने की आवश्यकता से की गई हो, कोई वाद या अन्य विधिक कार्रवाई उपस्थित नहीं होगी।

36. **विजिटर के लिए सचिवालय ।** — बिहार सरकार विजिटर को उसके कतर्व्य एवं अधिकार के निष्पादन के लिए सचिवालयीय सहायता प्रदान करेगी ।

37. **विश्वविद्यालय को केन्द्रीय सरकार को अंतरित करने हेतु राज्य सरकार की शक्ति।**— यदि किसी भी समय, राज्य सरकार विश्वविद्यालय को केन्द्रीय सरकार को उन निबंधनों और शर्त्तों पर, जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जायें, अंतरित करना उपयुक्त एवं जनहित में समझती है, तो वह अंतरित कर सकेगी ।

38. **कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति ।** — इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो सरकार राज्यपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे प्रावधान, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत नहीं हो, और जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन प्रतीत हो, कर सकेगी :

परन्तु, ऐसा कोई आदेश इस नियम के आरंभ से तीन वर्षों की समाप्ति के बाद इस धारा के अधीन नहीं किया जायेगा :

परन्तु, और की इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश यथाशीघ्र विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।